राजस्थान सरकार

शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग

क्रमांकः प. 3 (1) शिक्षा–4/2019 जयपुर, दिनांक : 19.03.2019

पब्लिक नोटिस

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2008 से आज दिनांक तक पृथक–पृथक अधिनियमों के द्वारा 51 निजी विश्वविद्यालय स्थापित किये गये है। इनकी सूची परिशिष्ट –1 पर संलग्न है। ये निजी विश्वविद्यालय यनिटरी है अतः इन्हें किसी भी अन्य संस्थान को सम्बद्धता प्रदान करने या अन्यथा अपने अधिकार देने की शक्ति नहीं है। इन विश्वविद्यालयों को राजस्थान प्रदेश के बाहर देश/विदेशों में ऑफ कैम्पस सेन्टर/स्टडी सेन्टर/ऑफ शोर सेन्टर स्थापित करने का अधिकार नहीं है। अपने कैम्पस के अलावा राजस्थान प्रदेश में भी इन्हें बिना राज्य सरकार एवं यू.जी.सी की पूर्व अनुमति के ऑफ कैम्पस खोलने का अधिकार नहीं है।

ये निजी विश्वविद्यालय अपने–अपने अधिनियमों की अनुसूची द्वितीय में वर्णित पाठ्यक्रम या अन्य कोई पाठ्यक्रम अपने अधिनियम की धारा 4 के तहत राज्य सरकार की पूर्व अनमति प्राप्त कर रेगुलर मोड में संचालित करने हेतु अधिकृत हैं। दूररथ शिक्षा के तहत पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अपनी अनुसूची द्वितीय में वर्णित पाठ्यक्रमों के अनुसार दूरस्थ शिक्षा परिषद की पूर्व अनुमति से ही संचालित कर सकता हैं।

पाठ्यक्रमों में प्रवेश विश्वविद्यालयों के अधिनियम की धारा 32 के प्रावधानानुसार केवल मैरिट के आधार पर ही दिये जा सकते हैं परन्तु व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यकमों में प्रवेश केवल प्रवेश परीक्षा के माध्यम से ही दिये जा सकते हैं। जिन पाठ्यकमों के लिये राज्य या केन्द्र की एजेन्सियां प्रवेश परीक्षा का आयोजन करती है, उनमें प्रवेश इन एजेन्सियों से छात्र आवंटित करवाकर ही दिये जा सकते हैं। ऐसे व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यकम, जिनमें राज्य या केन्द्र की कोई एजेन्सी प्रवेश परीक्षा का आयोजन नहीं करती है, उनमें प्रवेश हेतु निजी विश्वविद्यालयों के संघ द्वारा प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जा सकता है। प्रवेश परीक्षा के आयोजन हेतु सीटों की संख्या एवं फीस का उल्लेख करते हुये प्रदेश के सभी प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञप्ति के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किये जावेंगे एवं परीक्षा परिणाम व प्रवेश हेतु पात्र पाये गये विद्यार्थियों की संख्या एवं प्राप्तांक प्रतिशत का विवरण भी समाचार पत्रों/नोटिस बोर्ड में देना होगा व राज्य सरकार को प्रेषित करना होगा।

विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 38 के अनुसार विश्वविद्यालय अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी विश्वविद्यालय विनियामक निकायों के समस्त नियमों, विनियमों, मानकों इत्यादि

Scanned with CamScanner

का अनुपालन करने के लिए आबद्ध हैं। अतः विश्वविद्यालय को पाठ्यक्रम संचालित करने से पूर्व विनियामक निकायों यथा यू.जी.सी. एआईसीटीई, एमसीआई, बीसीआई, आसीएआर, स्टेट गवर्नमेन्ट आदि के मापदण्डों/नियमो/निर्देशों सहित विश्वविद्यालय अधिनियम के समस्त प्रावधानों व विनियामक निकायों के समस्त नियमों, विनियमों, मापदण्डों, समय-समय पर जारी आदेशों/निर्देशों की पालना सुनिश्चित करना आवश्यक है।

सभी अभिभावकों/विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि वे विश्वविद्यालय द्वारा उपर्युक्त वर्णित तथ्यों/प्रावधानों की पालना की पुष्टि के बाद ही निर्धारित प्रक्रिया धारा 32. द्वारा व परिशिष्ट 2 पर संलग्न अनुसूचियों/ अनुमति पत्रों में वर्णित पाठ्यक्रम में ही प्रवेश लेवें।

19.3.19

(डॉ. राजेन्द्र जोशी)
संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा

प्रतिलिपि–

1 सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
2 विशिष्ट सहायक, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान।
3 निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4 निजी सचिव, मा. मंत्री महोदय, उच्च शिक्षा।
5 निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा।
6 समस्त निजी विश्वविद्यालय, राजस्थान।
7 प्रभारी, वेबसाईट आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस पब्लिक नोटिस को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कर मुख्य पृष्ठ पर प्रदर्शित करें व प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से वैबसाईट के लिंक के सबन्ध में सर्वसाधारण को अवगत करावें।
8 रक्षित पत्रावली।

संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग

क्रमांक प. 3 (1)/शिक्षा–4/2019 जयपुर, दिनांक : 15/07/2022

पब्लिक नोटिस

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2008 से आज दिनांक तक पृथक–पृथक अधिनियमों के द्वारा 51 निजी विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। यूजीसी रेगुलेशन 2003 के अनुसार निजी विश्वविद्यालय यूनिटरी हैं अतः इन्हें किसी भी अन्य संस्थान को सम्बद्धता प्रदान करने या अन्यथा अपने अधिकार देने की शक्ति नहीं है। इन निजी विश्वविद्यालयों को राजस्थान प्रदेश, प्रदेश से बाहर देश/विदेशों में ऑफ कॅपस सेंटर/स्टडी सेंटर/ऑफ शोर सेंटर आदि स्थापित/संचालित करने का अधिकार नहीं है। इन निजी विश्वविद्यालयों को अपने कैंपस के अलावा राजस्थान प्रदेश में भी राज्य सरकार एवं यूजीसी की पूर्व अनुमति के बिना ऑफ कैंपस स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार नहीं है। निजी विश्वविद्यालयों के अधिनियमों का अवलोकन विश्वविद्यालयों की वेबसाईट या उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाईट hte.rajasthan.gov.in पर किया जा सकता है।

समस्त निजी विश्वविद्यालय अपने–अपने अधिनियमों की अनुसूची द्वितीय में वर्णित पाठ्यक्रम या अपने अधिनियम की धारा 4 के तहत राज्य सरकार से अनुमति करने के पश्चात कोई अन्य पाठ्यक्रम रेगुलर मोड में संचालित करने हेतु अधिकृत है। दूरस्थ शिक्षा के तहत पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अपनी अनुसूची द्वितीय मे वर्णित पाठ्यक्रमों के अनुसार दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो (DEB) की पूर्व अनुमति से ही संचालित कर सकते हैं।

पाठ्यक्रमों में प्रवेश निजी विश्वविद्यालयों के अधिनियम की धारा 32 के प्रावधानानुसार केवल मेरिट के आधार पर दिए जा सकते हैं परंतु व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश केवल प्रवेश परीक्षा के माध्यम से ही दिए जा सकते हैं। जिन व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों यथा शिक्षण प्रशिक्षण पाठ्यकम, डीएलएड पाठ्यकम, कृषि पाठ्यकम, चिकित्सा शिक्षा, प्रौद्योगिकी शिक्षा इत्यादि में प्रवेश के लिए राज्य या केंद्र की एजेंसियां प्रवेश परीक्षा का आयोजन करती है, उनमें प्रवेश इन एजेंसियों से छात्र आवंटित करवाकर ही दिए जा सकते हैं। ऐसे व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रम जिनमें राज्य या केंद्र की कोई एजेंसी प्रवेश परीक्षा का आयोजन नहीं करती है, उनमें प्रवेश हेतु समान पाठ्यकम संचालित कर रहे निजी विश्वविद्यालयों के संघ द्वारा अपने स्तर पर प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जा सकता है।

निजी विश्वविद्यालयों के अधिनियमों की धारा 38 के अनुसार विश्वविद्यालय अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी विश्वविद्यालय विनियामक निकायों के समस्त नियमों, विनियमों, मानकों इत्यादि का अनुपालन करने के लिए आबद्ध है। अतः विश्वविद्यालयों को पाठ्यक्रम संचालित करने से पूर्व संबंधित विनियामक निकायों यथा यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटीई, एनएमसी, बीसीआई, आईसीएआर, स्टेट गवर्नमेंट आदि के मापदण्डों/नियमों/निर्देशों सहित विश्वविद्यालय अधिनियम के समस्त प्रावधानों व विनियामक निकायों के समस्त नियमों, विनियमों, मापदण्डों समय–समय पर जारी आदेशों/निर्देशों की पालना सुनिश्चित करना आवश्यक है।

यदि किसी व्यावसायिक या तकनीकी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये राज्य या केन्द्र की कोई एजेन्सी प्रवेश परीक्षा का आयोजन नहीं करती है तो उन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये निजी विश्वविद्यालय संघ द्वारा प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाकर प्रवेश दिये जावें। इस हेतु प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिये सीटों की संख्या एवं फीस आदि का पूर्ण उल्लेख करते हुए प्रदेश के सभी प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञप्ति के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जावेंगे एवं परीक्षा परिणाम व प्रवेश हेतु पात्र पाए गए विद्यार्थियों की संख्या एवं प्राप्तांक प्रतिशत का विवरण भी समाचार पत्रों/नोटिस बोर्ड में देना होगा व राज्य सरकार को प्रेषित करना होगा।

अतः सभी अभिभावकों/विद्यार्थियों एवं आम जन को उनके हित में यह पब्लिक नोटिस जारी कर सूचित किया जाता है कि निजी विश्वविद्यालयों में उपर्युक्त वर्णित तथ्यों/प्रावधानों के अन्तर्गत निजी विश्वविद्यालयों की अधिकारिता, विनियमन, निकायों से मान्यता, विनियमन निकायों के नियमों, परिनियमों, मापदण्डों की पालना की पुष्टि के बाद ही निर्धारित प्रक्रिया अनुसार निजी विश्वविद्यालयों के अधिनियमों के प्रावधानों का अध्ययन करने के उपरान्त विश्वविद्यालय को स्वीकृत पाठ्यक्रमों में विहित प्रक्रिया एवं उपरोक्त वर्णित स्पष्टीकरणों के अनुसार ही प्रवेश लेवें।

आज्ञा से,

Sd/-

(डॉ. फिरोज अख्तर)

संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, मा0 मंत्री महोदय, उच्च शिक्षा।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा।
5. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली।
6. सचिव, एआईसीटीई, एनसीटीई, एनएमसी, बीसीआई, पीसीआई, एफसीआई, आईसीएआर, डीसीआई, नई दिल्ली।
7. डॉ. मनीष सिंघवी, अतिरिक्त महाधिवक्ता, स्टेट ऑफ राजस्थान, बीकानेर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली–110011 को उनके पत्र दिनांक 26.2.2022 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।
8. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि पब्लिक नोटिस को जनसाधारण की सूचनार्थ देश/प्रदेश के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने का श्रम करें।
9. प्रभारी अधिकारी, वेबसाईट, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस पब्लिक नोटिस को जनहित में उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाईट पर मुख पृष्ठ पर अविलम्ब प्रदर्शित करें तथा इसके व्यापक प्रचार प्रसार हेतु अन्य आवश्यक कार्यवाही सम्पादित करें।
10. कुलसचिवगण समस्त निजी विश्वविद्यालयों को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे प्रवेश के संबंध में अधिनियम के प्रावधानों व राज्य सरकार एवं विनियमन निकायों के समस्त नियमों, परिनियमों, मापदण्डों इत्यादि की पूर्ण पालना सुनिश्चित करें एवं इस पब्लिक नोटिस को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर व विश्वविद्यालय कैम्पस में सार्वजनिक स्थान पर नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर विभाग को अवगत करावें तथा नोटिस में विहित निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।
11. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा